



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 81/18

निर्णय दिनांक: 27.03.2018

1. दुलाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी बीरमसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 24-05-2003  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री मनमोहन चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 24-05-2003 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 10-500 डीडी के

मुरब्बा नम्बर 119/12 के किला नम्बर 6, 7, 11, 22, 23 में 5 बीघा व किला नम्बर 8 ता 10, 12 ता 15, 18, 19 में 9 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 14 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया परन्तु उक्त भूमि पूर्व में ही रामेश्वरलाल पुत्र हरखाराम जाति जाट साकिन पूगल को मिडियम पेच के तहत आवंटित होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-05-2003 के विरुद्ध अपील दिनांक 06-02-18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का

कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब

अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-05-2003 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 06-02-2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 10-500 डीडी के मुरब्बा नम्बर 119/12 के किला नम्बर 6, 7, 11, 22, 23 में 5 बीघा व किला नम्बर 8 ता 10, 12 ता 15, 18, 19 में 9 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित की गई तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका, क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही रामेश्वरलाल पुत्र हरखाराम जाति जाट साकिन पूगल को आवंटितशुदा भूमि थी।

(2) जहाँ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त

-4-

कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(3) अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के आधार पर वादगत भूमि अन्य व्यक्ति मोडाराम पुत्र आणदाराम, उतमादेवी पत्नि मोडाराम जाति मेधवाल साकिन पूगलको

आवंटित किया जाना साबित है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर का कब्जा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकता।

(4) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जाँच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्ध रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(5) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार-बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(6) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत

—5—

द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(7) इसप्रकार विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष न्यायालय के समक्ष पत्रावलियों के अभिवचनों एवं रिकार्ड के अवलोकन से प्रदर्शित होते हैं:—

- (क) तत्समय बड़ी मात्रा में भूमिहीन आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए।
- (ख) आवंटनों हेतु आवेदनों की जाँच व परीक्षण करने में लापरवाही या त्रूटि से आवंटन कर दिये गये या आवेदन अनिर्णित भी रहे। या यह भी कि त्रूटिपूर्ण आवंटन भी कर दिया व तत्पश्चात् ज्ञात होने पर उस पूर्व आवंटन पत्रावली पर कोई कार्यवाही ना कर या स्वयं की गलती को छिपाने की गरज से उसी भूमि को अन्य को आवंटन कर दिया गया।
- (ग) उक्त त्रूटि का लाभ उठाने हेतु तत्पश्चात् वर्षों बाद तकनीकी बिन्दुओं यथा विभागीय त्रूटि, बिना सूचना आवंटन खारिजी व वही रकबा अन्य को आवंटन या अपीलार्थी को बार-बार आवेदन पर भी विभागीय अकर्मण्यता का लाभ उठा कर उच्च न्यायालयों में अपील दायर कर यथाशक्य स्वयं के हित में आदेश प्राप्त कर अन्यत्र भूमि प्राप्त कर लेना-बड़ी संख्या में ऐसे मामलें आये हैं।
- (घ) ऐसी दशा में यह भी देखने में आया है कि पूर्व का आवंटनशुदा रकब कब्जे के अभाव में या अन्यथा आवंटन पश्चात् भी अमलदरामद ना होने से पुनः आराजीराज आवंटन हेतु रकबे में जारी चला आते रहने से पुनः किसी अन्य या पश्चातवर्ती आवेदक को आवंटन हो गया या पश्चातवर्ती आवंटन पूर्णतया गलत रूप से आवंटित हुआ हो।

—6—

- (ङ) उक्त सभी दशाओं में दोनों आवंटिती की पत्रावलियों की जाँच की जाकर यदि अपीलार्थी के आवेदन व आवंटन सही है व आज भी बहाल चला आ रहा है एवं उसकी स्वयं की कोई त्रूटि नहीं है तो आवंटन अधिकारी/अधिनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण उक्त तथ्यों की जाँच कर कार्यवाही करें।

(8) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(9) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-05-2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर